

प्रेषक,

आनन्द प्रकाश उपाध्याय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फिरोजाबाद।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 07 जनवरी, 2011

विषय: वर्ष 2010-11 में ओलावृष्टि के पूरक स्था अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत राहत कार्यों हेतु धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1967/सी0आर0ए0(दौ0आ0) अलाव धनावंटन दिनांक 27.11.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-3640/1-10-2010-12(34)2003 टी0सी0 दिनांक 8.11.2010 के साथ संलग्न सूची के क्रमांक-10 जनपद फिरोजाबाद के समक्ष अंकित धनराशि रूपया-2,00,000/- के स्थान पर रूपया-3,00,000/- लिपिकीय त्रुटिवश अंकित हो गया है जिसे रू0 2,00,000/- (रूपया दो लाख मात्र) पढ़ा जाय। कृपया उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

1-महालेखाकार (लेखा)/ महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0

2-मण्डलायुक्त, आगरा।

3-कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।

4-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5

5-वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10/
राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।

6-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।